अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 1

18
16-05-2023

न्यायालय उपायुक्त, रॉंची

अधिहरण वाद सं० 8 आर० 28/2021–22

राज्य

बनाम

1. बलराम महतो पिता बुधराम महतो, निवासी सतपालु, गोराडीह, थाना सिल्ली, जिला रॉंची (वाहन सं० – JH-01BR-5408 के निबंधीत स्वामी)
2. रीता कुमारी पति कोले वर महतो, निवासी गोबरहप्पा, हुँडुर, थाना पिठोरिया, जिला रॉंची (वाहन सं० – JH-01CT-4165 के निबंधीत स्वामिनी) ...... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, रॉंची के ज्ञापांक सं0 3815/अप०शा०(ग्रा०) दिनांक 16.08.2021 द्वारा सिल्ली थाना कांड सं0–32/21, दिनांक 26.03.2021 धारा– 4/21 Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 54 of Jharkhand Minor Mineral Concession Rule 2004 एवं 7/3/9/13 Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rules, 2017 मे जप्त वाहन सं० – JH-01BR-5408 एवं वाहन सं० –JH-01CT-4165 को राजसात की कार्रवाई करने के अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रॉंची द्वारा अग्रसारित प्रतिवेदन के अनुसार – अँचल अधिकारी सिल्ली के अग्रसारित पत्रांक 84 (ii) / रा० दिनांक 26.03.2021 के आलोक में काण्ड के वादी राजस्व उपनिरीक्षक सिल्ली श्री परशुराम केरकेट्टा के द्वारा दिनांक 26.03.2021 समय करीब 12:00 बजे से 03:00 बजे तक अँचलाधिकारी सिल्ली तथा थाना प्रभारी सिल्ली के साथ पुरूलिया रोड मे अवैध बालु ढुलाई रोकथाम हेतु छापामारी करने के क्रम मे महिन्द्रा बी० 275 डी०आई० इंजन सं0–RFNE02841 एवं स्कार्ट लिमिटेड 434E5 इंजन सं०– E3400525 ट्रैक्टर को अवैध बालू भरित जप्त कर थाना परिसर लाया गया। उनके उपरोक्त लिखित सूचना के आधार पर सिल्ली थाना कांड सं0–32/21,

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग… कारवाई के बारे में … टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

दिनांक 26.03.2021 धारा– 4/21 Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 54 of Jharkhand Minor Mineral Concession Rule 2004 एवं 7/3/9/13 Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rules, 2017 दर्ज किया गया तथा काण्ड के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण मे उपरोक्त काण्ड उक्त वाहन मालिक के विरूद्ध प्रतिवेदित धाराओं के अन्तर्गत सत्य पाया गया।

विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – उपरोक्त जप्त वाहनो को Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 11 (iv) मे वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत विधिवत जप्त नही किया गया है। उक्त वाहनो के मालिको को जप्ती सूची उपलब्ध नही कराई गई है। दर्ज काण्ड का परीक्षण लंबित रहने के दौरान ही विपक्षी के वाहनो को राजसात करने के कार्रवाई आरम्भ किया गया है जो नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत है। प्रस्तुत मामले मे एम०एम०डी०आर० एक्ट के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा परिवाद दर्ज नही किया गया है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहनो मे बालू (लघु खनिज) के अवैध परिवहन से सरकारी राजस्व को क्षति पहुँची है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहनो मे बालू (लघु खनिज) के अवैध परिवहन से सरकारी राजस्व को क्षति पहुँची है। इस संबंध मे झारखण्ड खनिज समानुदान नियमावली, के नियम सं० 54 (5) के अनुसार –*यदि किसी वाहन का कोई चालक लघु खनिज को परिवहन करते समय सक्षम पदाधिकारी अथवा निदेशक, खान अथवा अपर निदेशक, खान अथवा उप निदेशक, खान अथवा जिला / सहायक खनन पदाधिकारी अथवा समाहर्ता या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को प्रपत्र 'एम' अथवा झारखण्ड खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अन्तर्गत फार्म डी में परिवहन चालान*

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

ादेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

दिखाने में असफल रहता है अथवा निरीक्षण से इन्कार करता है, तो उसे अधिकतम 01 वर्ष की कैद अथवा खनिज मूल्य की दोगुनी राशि के बराबर दण्ड अथवा दोनों एक साथ दण्ड दिया जा सकता है तथा दूसरी एवं तीसरी बार वैध परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उपरोक्त के अतिरिक्त दण्ड की राशि क्रमश रू० 50,000.00 (पचास हजार रूपये) एवं रू० 1,00,000/– (एक लाख) रूपये होगी। जाँच करने वाले पदाधिकारी द्वारा अवैध परिवहन करते पाये जाने पर वाहन को खनिज सहित जप्त किया जाएगा तथा जिसे किसी सरकारी प्रतिष्ठान में अथवा स्थानीय थाना प्रांगण में सुरक्षित रखा जाएगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा अवैध परिवहनकर्ता के उपरोक्त दण्ड शुल्क एवं इस आशय का बंध पत्र (Bond Paper) समर्पित किए जाने पर कि न्यायालय द्वारा नोटिस दिए जाने पर उपस्थित होंगे, वाहन को खनिज सहित छोड़ा जा सकता है, परन्तु अवैध परिवहनकर्ता पर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना न्यायायिक दण्डाधिकारी को दी जाएगी। बंध पत्र का प्रपत्र निदेशक, खान द्वारा अलग से परिचालित किया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमानुसार सिल्ली थाना कांड सं0–32/21, दिनांक 26.03.2021 में जप्त वाहन सं० – JH-01BR-5408 एवं वाहन सं० – JH-01CT-4165 को को खनिज मूल्य की दोगुनी राशि के बराबर दण्ड शुल्क के साथ एवं सशर्त्त निम्नलिखित आशय का बंध पत्र (Bond Paper) समर्पित करने के उपरान्त अंतरिम तौर पर मुक्त करने का आदेश पारित किया जाता है।

विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वे संबंधित थाना के समक्ष निम्नलिखित आशय का बंधपत्र समर्पित करना सुनिश्चित करे कि वे :–

(क) उपरोक्त वाहनों की बिक्री, बंधक या अन्य किसी तरीकों से स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं करेंगे।

(ख) उपरोक्त वाहनों की अभिरक्षा अदालत द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होगी।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	(ग) सक्षम न्यायालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष वाहनों का उपस्थापित करेंगे। (घ) वाहनो का पहचान के साथ छेडछाड़ नही करेगे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। उपायुक्त राँची लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त राँची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.25 21:10:42 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cd9:605:3f57:d4b9